

06.10.2021 प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाना नहीं चाहती है, इसलिये प्रार्थीगण के वकील ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को Not Press किया है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र जरिये Not Press खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम हो।

a
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Not Press
1/23

